

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 295/15

संस्थापन दिनांक:-08/06/15

फाईलिंग नं. 233504001712015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

यादोराव पिता श्यामू ठाकरे,

उम्र 50 वर्ष, निवासी रमली,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 10.07.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 20.05.2015 को रात 08:00 बजे प्रार्थिया के घर के सामने रमली थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी द्वारका और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी द्वारका को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारका का दिनांक 20.05.2015 को खेत की नपाई पर से अभियुक्त से लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी उसने रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट करने के बाद रात करीब 8 बजे योगेश उसके घर के सामने आया और मां बहन मादरचोद घर से बाहर निकल कहकर गंदी गंदी गालियां देकर लठ्ठ पटककर जान से खत्म करने की धमकी दिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 282/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और

उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे फरियादी एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 04 का निराकरण

5 द्वारकाबाई (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को उसका लड़का और लड़की जमीन में खुटी गाढ़ रहे थे जिस बात पर से अभियुक्त यादोराव एवं उसके परिजन ने मारपीट की थी। उसी दिनांक को रात में लगभग 9 बजे अभियुक्त यादोराव एवं उसका लड़का घर आया तथा अभियुक्त यादोराव के लड़के योगेश ने निकल भोसड़ी की बाहर एवं मां बहन की गाली दी। बामनराव ठाकरे (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि घटना रात्रि 8 बजे की है। घटना दिनांक को अभियुक्त यादोराव और उसके लड़के ने उसकी भाभी एवं भतीजे के साथ मारपीट की थी फिर वह सारणी चला गया था। रात में द्वारकाबाई ने उसे फोन करके बताया था कि अभियुक्त यादोराव और उसके लड़के ने उनके साथ गाली गलौच की और जान से मारने की धमकी दी है।

6 सयाबाई (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि घटना दिनांक को जब वह काम से घर लौटकर आयी तो उसे उसकी भाभी ने बताया कि अभियुक्त यादोराव ने लड़ाई की थी। इसके अलावा उसे घटना की जानकारी नहीं है। कमल माथनकर (अ.सा.-1) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया

है। सयाबाई और कमलमाथनकर से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में अपने समक्ष घटना होने से इनकार किया है। इस प्रकार अभियोजन को साक्षी कमल एवं सयाबाई से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

7 बामनराव ठाकरे (अ.सा.-3) अनुश्रुत साक्षी है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में फरियादी द्वारकाबाई के द्वारा घटना की जानकारी दी जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके समक्ष घटना नहीं हुई थी और यह भी बताया है कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व से विवाद चल रहा है। अनुश्रुत साक्षी होने के कारण उपर्युक्त साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

8 अभिलेख पर मात्र फरियादी द्वारकाबाई की साक्ष्य उपलब्ध है। फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त यादोराव एवं उसके बेटे योगेश के द्वारा गालियां दी जाना तथा अभियोजन अधिकारी प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिये जाने पर अभियुक्त यादोराव के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त उसका ससुर है जिससे जमीन का विवाद है और इसी जमीनी विवाद पर से अभियुक्त और उसकी दो-दो बातें हुई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय बहुत भीड़ थी उसने नहीं देखा था कि गाली गालौच किसने की थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि वह यह चाहती है कि उसे उसकी जगह मिल जाये और इसलिए उसने रिपोर्ट की थी और यदि अभियुक्त उसे जमीन वापस दे दे तो वह रिपोर्ट वापस ले लेगी।

9 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 20.05.2015 की रात्रि करीब 8 बजे की है। घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन लेख करायी गयी है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से जमीन का विवाद स्थापित है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। फरियादी द्वारकाबाई ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा मां बहन की गाली दी जाना और जान से मारने की धमकी दी जाना बताया है।

10 साक्षी/फरियादी द्वारकाबाई (अ.सा.-2) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224

अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

11 द्वारकाबाई (अ.सा.-2) ने अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाना बताया है परंतु अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294 एवं 506 भाग-दो भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी द्वारका और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी द्वारका को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त यादोराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)